संख्या : 18 /2026/बी-1-1528 /दस-2026

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 18 जुलाई, 2026

विषय:- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुये डी.डी.ओ. कोड आवंटन।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-4730/दस-53/98, दिनाँक 17 अक्टूबर, 1998 द्वारा जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, बरेली, आगरा, झाँसी, गोरखपुर तथा वाराणसी में स्थापित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुये डी.डी.ओ. कोड संख्या- 4573 आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-263/दस-2026, दिनाँक 03 फरवरी, 2026 द्वारा जनपद अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, चित्रकूटधाम-बाँदा, देवीपाटन-गोण्डा, अयोध्या, बस्ती, विन्ध्याचल-मिर्जापुर, मुरादाबाद तथा सहारनपुर में स्थापित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुये डी.डी.ओ. कोड संख्या- 4571 आवंटित की गई है।

2- उक्त के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग से, समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यों हेतु एक समान डी.डी.ओ. कोड आवंटित किये जाने हेतु, प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरिअंकित शासनादेश दिनाँक 17 अक्टूबर, 1998 तथा शासनादेश दिनाँक 03 फरवरी, 2026 को निरस्त करते हुये जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, बरेली, आगरा, झाँसी, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, चित्रकूटधाम-बाँदा, देवीपाटन-गोण्डा, अयोध्या, बस्ती, विन्ध्याचल-मिर्जापुर, मुरादाबाद तथा सहारनपुर में स्थित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी आहरण एवं वितरण कार्य हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुये डी.डी.ओ. कोड संख्या-4571 आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं।

भवदीय,

आलोक दीक्षित

विशेष सचिव।

कृ.पृ.उ.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-18/2026/ बी-1-1528 (1)/दस-2026,तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
7. उच्च शिक्षा अनुभाग-5.
8. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।